भारत में स्नेह का अलगाव: व्यभिचार के अपराधीकरण के बाद नागरिक जवाबदेही

यूपीएससी प्रासंगिकता-

- **प्रारंभिक परीक्षा**: एओए एक अपकृत्य के रूप में, जोसेफ शाइन निर्णय, दीवानी और फौजदारी कानून के बीच अंतर, और अधिकार क्षेत्र के मुद्दे।
- **मुख्य परीक्षा: सामान्य अध्ययन-1**, समाज, व्यक्तिगत स्वायत्तता को दीवानी उपचारों के साथ संतुलित करने पर प्रश्न, पारिवारिक कानून का आधुनिकीकरण, और निजता बनाम सामाजिक नैतिक अपेक्षाएँ

चर्चा में क्यों

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में **शैली महाजन बनाम एम.एस. भानुश्री बहल एवं अन्य** मामले की सुनवाई की, जिसमें एक पत्नी ने अपनी शादी टूटने का आरोप लगाते हुए दूसरी महिला पर मुकदमा दायर किया। यह दावा **स्नेह के अलगाव (Alienation of Affection, AoA)** की अवधारणा पर आधारित था, जो एंग्लो-अमेरिकन कानून में मौजूद है और पति या पत्नी को किसी तीसरे पक्ष से नागरिक क्षतिपूर्ति मांगने की अनुमति देती है। भारत ने कभी औपचारिक रूप से AoA को मान्यता नहीं दी है, इसलिए इस मामले में अदालत द्वारा समन जारी करने की तैयारी ने देशभर में बहस छेड़ दी।

पृष्ठभूमि: स्नेह का अलगाव (Alienation of Affection, AoA)

- **परिभाषा:** AoA एक नागरिक अपकृत्य है जिसमें पति या पत्नी उस तीसरे पक्ष के खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं जिसने जानबूझकर वैवाहिक संबंध को नुकसान पहुँचाया। इसका उद्देश्य **भावनात्मक क्षति की भरपाई** करना है, न कि दंड देना।
- **उदाहरण:** यदि कोई पति अपनी पत्नी को किसी प्रेमी/प्रेमिका के प्रभाव में आकर छोड़ देता है, तो पत्नी उस तीसरे पक्ष पर AoA का दावा कर सकती है।

उत्पत्ति और आधार:

- AoA का आधार **सामान्य कानून (Common Law)** है।
- इसे "हृदय-बाम अपकृत्य" भी कहा जाता है।
- यह मानता है कि विवाह कानूनी रूप से निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है:
    1. साथ और यौन संबंध
    2. अंतरंगता और भावनात्मक समर्थन
    3. आपसी देखभाल और साझा जिम्मेदारियाँ
- किसी तीसरे पक्ष द्वारा हस्तक्षेप इन अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है।

भारतीय कानून में स्थिति:

- भारत ने AoA को न तो **मान्यता दी है** और न ही **प्रतिबंधित किया है।**
- सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरण:
  - ***पिनाकिन महिपतराय रावल बनाम गुजरात राज्य (2013):*** किसी अजनबी द्वारा वैवाहिक स्नेह में हस्तक्षेप को नागरिक अपराध माना गया।
  - ***इंद्रा शर्मा बनाम वी.के.वी. शर्मा (2013):*** पिता का स्नेह विमुख होने पर बच्चों को हर्जाना का अधिकार हो सकता है।
- **वास्तविकता:** अभी तक किसी भारतीय अदालत ने AoA के तहत हर्जाना प्रदान नहीं किया है; यह केवल एक मान्य अवधारणा बनी हुई है।

अमेरिका में एओए (Alienation of Affection) की प्रासंगिकता

- **उपस्थिति:**
  एओए केवल कुछ अमेरिकी राज्यों में मान्यता प्राप्त है, जैसे: **उत्तर कैरोलिना, मिसिसिपी, दक्षिण डकोटा।**

- **प्रमाण के लिए आवश्यकताएँ:**
  1. हस्तक्षेप से पहले वैवाहिक प्रेम और स्नेह मौजूद होना चाहिए।
  2. तीसरे पक्ष की कार्रवाई के कारण प्रेम/स्नेह में नुकसान होना चाहिए।
  3. तीसरे पक्ष का दुर्भावनापूर्ण आचरण नुकसान का कारण होना चाहिए।

- **आधुनिक चलन:**
  अधिकांश राज्यों ने इसे obsolete मानते हुए या निजी वैवाहिक मामलों में दखल मानते हुए समाप्त कर दिया है।

IAS PCS Institute
Result Mitra
रिजल्ट का साथी
www.resultmitra.com
9235313184, 9235440806

जोसेफ शाइन मामला और भारत में संदर्भ

- **मामला:** *जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018)*

- **मुख्य निर्णय:**
  - आईपीसी की धारा 497 के तहत व्यभिचार को अपराधमुक्त किया गया।
  - फैसले में **गोपनीयता, लैंगिक समानता और व्यक्तिगत स्वायत्तता** पर जोर दिया गया।

- **निहितार्थ:**
  - व्यभिचार अब अपराध नहीं है, लेकिन दीवानी तलाक के लिए आधार बन सकता है।
  - आलोचकों का तर्क: यह निजी नैतिकता और कानूनी जिम्मेदारी के बीच की रेखाओं को धुंधला कर सकता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय: एओए (Alienation of Affection)

मुख्य निष्कर्ष:

1. **दीवानी परिणाम:**
   - व्यभिचार अब आपराधिक अपराध नहीं है।
   - फिर भी, दीवानी दायित्व (civil liability) के तहत पति-पत्नी तीसरे पक्ष से मुआवज़ा मांग सकते हैं।

2. **त्रि-स्तरीय परीक्षण (Three-tier test) एओए दावों के लिए:**
   - **जानबूझकर और गलत आचरण:** तीसरे पक्ष द्वारा वैवाहिक संबंध में जानबूझकर हस्तक्षेप।
   - **कारण (Causation):** आचरण और वैवाहिक विघटन के बीच सीधा संबंध।
   - **आकलन योग्य हानि (Assessable Damage):** नुकसान मापने योग्य या तर्कसंगत रूप से मूल्यांकन योग्य होना चाहिए।

3. **अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction):**
   - **पारिवारिक न्यायालय:** पति-पत्नी के बीच तलाक, गुजारा भत्ता और अन्य वैवाहिक विवाद।
   - **एओए दावे:** तीसरे पक्ष के विरुद्ध **दीवानी अपकृत्य (civil tort)**, इसलिए **दीवानी न्यायालय** के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय मामले के निहितार्थ (Implications of the Case)

1. **दीवानी दावे का द्वार खुलना:**
   - भारत में तीसरे पक्ष द्वारा वैवाहिक संबंधों में हस्तक्षेप करने पर दीवानी दावे (civil suits) की संभावना बढ़ी।

2. **व्यक्तिगत स्वायत्तता और वैवाहिक अधिकार का संतुलन:**
   - व्यभिचार अब आपराधिक अपराध नहीं है।
   - फिर भी, वैवाहिक नुकसान के लिए नागरिक अधिकार सुरक्षित हैं, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और वैवाहिक अधिकारों के बीच संतुलन बनता है।

3. **भावनात्मक क्षति और आशय का प्रमाण:**
   - मुकदमेबाजी में चुनौती: भावनात्मक क्षति का माप और तीसरे पक्ष के इरादे का प्रमाण देना कठिन।

4. **नया मिसाल कायम करना:**
   - यह भारत में पहली संभावित कार्रवाई योग्य AoA (Alienation of Affection) दावे के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

- दीवानी अपकृत्य और पारिवारिक कानून के बीच मौजूदा अंतर को पाटने की दिशा में एक संकेत।

चुनौतियाँ और विवाद (Challenges and Controversies)

1. **प्रमाण की कठिनाई:**
   आशय और भावनात्मक नुकसान का आकलन जटिल।
2. **गोपनीयता संबंधी चिंताएँ:**
   आलोचकों का तर्क: अदालतें व्यक्तिगत संबंधों में हस्तक्षेप नहीं करें।
3. **नैतिक बनाम कानूनी जवाबदेही:**
   निजी नैतिकता और नागरिक दायित्व के बीच की रेखाएँ धुंधली हो सकती हैं।
4. **न्यायिक रूढ़िवादिता:**
   AoA भारत में नया है; अदालतों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और वैवाहिक सुरक्षा के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाए रखना होगा।

आगे की राह (Way Forward)

1. **सिविल उपचारों का कानूनन समावेश**: विधायकों द्वारा वैवाहिक हस्तक्षेप के लिए नागरिक उपचारों को संहिताबद्ध करने पर विचार किया जा सकता है।
2. **साक्ष्य मानक का निर्धारण**: न्यायालय तुच्छ दावों से बचाव के लिए कड़े साक्ष्य मानक निर्धारित कर सकता है।
3. **सार्वजनिक चर्चा और नीति निर्माण**: गोपनीयता, व्यक्तिगत स्वायत्तता और वैवाहिक अधिकारों पर चर्चा भारत में AoA को अपनाने की दिशा तय करेगी।

IAS PCS Institute
Result Mitra
@resultmitra
13184, 9235440806

संक्षेप में / निष्कर्ष (Conclusion)

- दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा संभावित AoA दावे को मान्यता देना भारत में नए कानूनी आयाम का संकेत देता है।
- यह वैवाहिक हस्तक्षेप पर नागरिक उपाय की अनुमति देता है, जबकि गोपनीयता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान बनाए रखता है।
- व्यभिचार अब अपराध नहीं है, फिर भी वैवाहिक संबंधों में हस्तक्षेप के लिए दीवानी दायित्व संभव है।
- यह भारतीय पारिवारिक और अपकृत्य कानून में संभावित बदलाव का प्रतीक है, जो व्यक्तिगत संबंधों में जवाबदेही और वैवाहिक सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करता है।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1:'एलियनेशन ऑफ अफेक्शन' (Alienation of Affection- AoA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. AoA भारतीय कानून के तहत एक आपराधिक अपराध है।
2. यह एक जीवनसाथी को उस तीसरे पक्ष पर मुकदमा करने की अनुमति देता है जो जानबूझकर वैवाहिक संबंध में हस्तक्षेप करता है।
3. भारत ने अपकृत्य कानून (tort law) के तहत AoA को संहिताबद्ध (codified) किया है।
4. दिल्ली उच्च न्यायालय ने शैल्ली महाजन बनाम एम.एस. भानुश्री बहल (Shelly Mahajan vs. M.S. Bhanushree Bahl) मामले में AoA के दावों की संभावना को स्वीकार किया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 4
C. केवल 1, 2, और 4
D. उपर्युक्त सभी

उत्तर: B. केवल 2 और 4

स्पष्टीकरण:

- AoA एक सिविल दोष (अपकृत्य/टॉर्ट) है, आपराधिक अपराध नहीं। (इसलिए कथन 1 गलत है)।
- यह एक जीवनसाथी को विवाह में हस्तक्षेप करने वाले तीसरे पक्ष से मुआवज़ा मांगने की अनुमति देता है। (इसलिए कथन 2 सही है)।
- भारत ने AoA को संहिताबद्ध नहीं किया है, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय जैसे न्यायालयों ने सिविल दावों में इसकी संभावना को मान्यता दी है। (इसलिए कथन 3 गलत है और कथन 4 सही है)।

UPSC मुख्य परीक्षा (Mains) अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: "जोसेफ शाइन मामले के तहत व्यभिचार (adultery) का गैर-आपराधिककरण (decriminalisation) वैवाहिक हस्तक्षेप (marital interference) के लिए नागरिक दायित्व (civil liability) को नहीं रोकता है।" भारत में व्यक्तिगत स्वायत्तता (personal autonomy) और नागरिक जवाबदेही (civil accountability) के बीच संतुलन के संदर्भ में दिल्ली उच्च न्यायालय के शैल्ली महाजन (Shelly Mahajan) निर्णय के निहितार्थों (implications) पर चर्चा कीजिए। (150 WORDS)